29-11-19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली उभय पक्ष वकील उपस्थित हुए। पत्रावली का मुलवाद धारा 125 व 136 L.R. Act में प्रस्तुत किया किया है। वादी वकील द्वारा उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T. Act आदेश 39 नियम 1 व 2 का प्रार्थनापत्र (T.I) को विड्रो करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया सबे प्रार्थीका विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)